रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 333] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 15, 1999/ज्येष्ठ 25, 1921
No. 333] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 15, 1999/JYAISTHA 25, 1921

LIBRARY 12/11/99

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना संख्या-13 (आर ई-99)/1997-2002

नई दिल्ली, 15 जून, 1999

का०आ० 438 (अ).— निर्यात और आयात नीति, 1997-2002 के पैराग्राफ 1.3 और 1.4 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा-5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 11 (आर ई-99)/1997-2002 दिनांक 3 जून, 1999 में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :—

उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 के कालम 4 में वाक्यांश (2) के अंत में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

"तथापि, किसी विदेशी जांच एजेंसी द्वारा प्रमाणित न की गई खेपों तथा केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा नमूनों की निर्धारित जांच करने पर वे ग्रेड-2क से कम पाए जाने पर उन्हें आयात नीति के तहत अनुमत आयात नहीं माना जाएगा तथा सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा तदनुसार उनका न्याय-निर्णय किया जाएगा।"

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

[फा० सं० 01/93/214/00001/ए एम-99]

एन०एल० लखनपाल, महानिदेशक, विदेश व्यापार और पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

Notification No. 13 (RE-99) 1997-2002

New Delhi, the 15th June, 1999

S.O. 438(E).—In exercise of powers conferred under section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 read with paragraphs 1.3 and 1.4 of the Export and Import Policy, 1997-2002, the Central Government hereby makes the following amendments in the Notification of Government of India, Ministry of Commerce No. 11(RE 99)/1997-2002 dated the 3rd June, 1999, namely,—

In the said notification, under column (4) appearing in para 2 thereof, the following shall be added at the end of clause (ii):

"However, consignments not certified by any foreign inspection agency and found to be below grade 2A, upon prescribed testing of samples by the Central Silk Board, are to be held as imports not permissible under import policy and shall be adjudicated by the customs authorities accordingly."

This issues in Public Interest.

[F.No. 01/93/214/00001/AM-99]

N.L. LAKHANPAL, Director General of Foreign Trade and ex-officio Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054